



दिनांक 04.10.2024

प्रेस विज्ञप्ति 08 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना मझोला

- 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.10.2024 को थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त पंकज उर्फ अजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मझोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मझोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-पंकज उर्फ अजय निवासी ग्राम कोटा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 04.10.2024 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष निवासी ग्राम पवरसा थाना दौराला जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की 01 लाइसेन्सी दोनाली बन्दूक
- लूट के माल बिक्री के 13 हजार 700 रुपये नगद
 - लूट का 01 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 03/04.10.2024 को थाना मवाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साधन पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मोहित उर्फ भूरा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रंजीत 3—मन्नू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 लाइसेन्सी दोनाली बन्दूक, लूट के माल बिक्री के 13 हजार 700 रुपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.09.2024 को थाना मवाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे

थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बन्दूक, रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमे अभियुक्त रंजीत के विरुद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त मोहित उर्फ भूरा के विरुद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त मन्नू के विरुद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मोहित उर्फ भूरा निवासी उल्लखपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ।
- 2-रंजीत निवासी नगला मुख्तियारपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ।
- 3-मन्नू निवासी उलखपुर थाना इंचौली जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1-लूट की 01 लाइसेन्सी दोनाली बन्दूक।
- 2-लूट के माल बिक्री के 13 हजार 700 रूपये नगद।
- 3-लूट का 01 मोबाइल फोन।
- 4-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 5-01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 09 हजार 230 रूपये नगद
 - लूट के सोने के आभूषण
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 03.10.2024 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मांडई के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रमाकान्त उर्फ धांसू 2—फैजान घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 09 हजार 230 रूपये नगद, लूट के सोने के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2024 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमाकान्त उर्फ धांसू निवासी नगला खुशहाल थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

2—फैजान निवासी कस्बा व थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 09 हजार 230 रूपये नगद।

2—लूट के सोने के आभूषण।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना सदर बाजार

● चोरी की घटना का अनावरण

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● भारी मात्रा में चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि

● घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 04.10.2024 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त सबील को गिरफ्तार कर

चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण आदि, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2024 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारिक की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सबील निवासी 100 फुटा रोड गली नं0-1 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, हालपता शौकीन गार्डन थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1-भारी मात्रा में चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण आदि।

2-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● भारी मात्रा के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण आदि बरामद

दिनांक 04.10.2024 को थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पोंगलीपुर नहरपुल के पास से 02 अभियुक्तों 1-रियाज 2-हलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना लहरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लहरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों

की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लहरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रियाज निवासी समोदी डीह थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

2—हलीम निवासी नई बस्ती थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—भारी मात्रा के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद बांदा/थाना कमासिन

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 04.10.2024 को थाना कमासिन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरधुवा थाना से लगी इटरा सीमा पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—विपिन 2—सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कमासिन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विपिन निवासी बछौधासानी थाना कमासिन जनपद बांदा।

2—सूरज निवासी अमलोखर थाना कमासिन जनपद बांदा।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ / थाना मड़ियांव

- अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 978 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक 03.10.2024 को थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मड़ियांव पुल के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1-अब्दुल मजीद 2-रामजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 978 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अब्दुल मजीद निवासी पुरानी बाजार थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर।
- 2-रामजीत निवासी अस्तीरोड़ थाना बी0के0टी0 कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

- 1-लगभग 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 978 ग्राम अवैध चरस।

जनपद शाहजहाँपुर / थाना तिलहर

- अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
- 412 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक 04.10.2024 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजनपुर नहर पुलिया के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त नरसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 412 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरसिंह निवासी ग्राम वरी खास थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—412 ग्राम अवैध चरस, 01 मोबाइल फोन आदि।

- जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/328/323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नदीम को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सीतापुर/थाना रामकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25(1—बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—देवीशंकर 2—मोनू को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नारायण को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-रामविलास 2-मनोज को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 04.10.2024

प्रेस विज्ञप्ति 07 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को गौतमबुद्ध नगर में आयोजित UP International Trade Show के दौरान उ0प्र0 पुलिस के स्टॉल को मिले प्रथम पुरस्कार की ट्राफी सुपुर्द की गयी

आज दिनांक 04.10.2024 को श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को अपर पुलिस महानिदेशक यूपी-112 द्वारा UP International Trade Show में उ0प्र0 पुलिस के स्टॉल को मिले प्रथम पुरस्कार की ट्राफी तथा इस अवसर पर संकलित कॉफी टेबुल बुक भेंट की गई। यूपी पुलिस के स्टॉल पर आगंतुको द्वारा विजिटर बुक में किये गए आलेख को भी पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवलोकित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था एवं अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकार एवं India Exposition Mart limited द्वारा संयुक्त रूप से गौतमबुद्धनगर में दिनांक 25.09.2024 से 29.09.2024 तक UP International Trade Show 2024 का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री प्रशान्त कुमार के निर्देशन में उक्त ट्रेड शो के हॉल नम्बर 04 में उ0प्र0 पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के सम्बन्ध में एक स्टॉल लगाया गया।

यूपी पुलिस की जनहित सेवाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए यूपी 112, वुमेन पॉवर लाइन (1090), साइबर क्राइम, एसडीआरएफ, पीएसी, एसटीएफ, एटीएस, यातायात तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के स्टाल लगाये गए, जिसमें काफी संख्या में देश व विदेश के नागरिकों ने यूपी पुलिस की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस तरह के आयोजन बार-बार करने हेतु आग्रह भी किया।

उक्त ट्रेड शो के कुल 15 हॉल में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। यूपी पुलिस के स्टाल पर माननीय केन्द्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री पियूष गोयल, केन्द्रीय मंत्री वस्त्र श्री गिरिराज सिंह, उ० प्र० सरकार के कैबिनेट मंत्री MSME, खादी एवं ग्राम उद्योग श्री राकेश सचान आदि द्वारा भ्रमण किया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यों की सराहना की गई। इस पांच दिवसीय ट्रेड शो में केंद्र एवं राज्य के विभिन्न अधिकारियों ने भी स्टॉल का भ्रमण किया एवं प्रशंसा की। श्री संजय प्रसाद, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० ने उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल का भ्रमण किया, यूपी-112, 1090, साइबर क्राइम, ATS, STF, SDRF के स्टॉल पर जाकर कार्य प्रणाली को जाना व सभी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा विज़िटर बुक में आलेख भी दर्ज किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल पर विभिन्न स्कूली बच्चों, RWA के सदस्यों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को आपात सेवा 112 की विभिन्न सेवाओं यथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु सवेरा योजना, महिलाओं की सुरक्षा हेतु नाईट स्कोर्ट योजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु लिंक योजना तथा विभिन्न आकस्मिक सेवाओं के एकीकरण के विषय में जानकारी दी गई इसके साथ-साथ केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों व पुलिस के रेक्रूट दल को पुलिस के स्टॉल का भ्रमण कराया गया और प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया।

प्रदर्शनी के बाहर मुख्य द्वार पर 112 चार पहिया वाहन, व दो पहिया वाहन तथा ATS के वाहन को सेल्फी पॉइंट पर प्रदर्शित किया गया, जहां पर नागरिकों द्वारा सेल्फी ली गयी साथ ही PAC के बैंड का भी प्रदर्शन किया गया जिसकी नागरिकों ने प्रशंसा की गयी।

आयोजकों द्वारा उक्त ट्रेड शो के सभी 15 हॉल में लगाये गए स्टॉल में से स्टॉल के साइज, उसका सेटअप, वहां के माहौल तथा स्टॉल पर आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर प्रत्येक हॉल में प्रथम 03 स्टॉल को पुरस्कृत किया गया। ट्रेड शो के हॉल नम्बर 4 में लगाई गई उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

उक्त पुरस्कार दिनांक 27.09.2024 को मा0 केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह एवं मा0 कैबिनेट मंत्री उ0प्र0 श्री राकेश सचान द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 श्रीमती मोहिनी पाठक को प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उ0प्र0 सरकार, खेल एवं युवा कल्याण/एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन/खादी एवं ग्रामोद्योग/व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, श्री आलोक कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।









दिनांक 04.10.2024

प्रेस विज्ञप्ति 06 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मों के आश्रित परिजन को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत चेक प्रदान किया गया।

आज दिनांक: 04.10.2024 को श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) निशान्त रंजन के शोक संतप्त आश्रित परिजन को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत धनराशि के रूप में 95 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मृत सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) के परिजन को पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत प्रदान किये गये 95 लाख रुपये के चेक में 60 लाख रुपये ऑफ ड्यूटी एक्सीडेण्टल डेथ, 15 लाख रुपये टर्म इंश्योरेंस व 20 लाख रुपये विक्रम क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस के सम्मिलित हैं।

उक्त मृत सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) निशान्त रंजन तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ में नियुक्त थे, जो थाना हाजीपुर जनपद वैशाली, बिहार के रहने वाले थे, जिनकी ऑफ ड्यूटी दुर्घटनावश छत से गिरने के कारण असामयिक मृत्यु हो गयी थी।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था उ0प्र0 सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

